रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2006 (अग्रहायण 25, 1928)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 16—DEC, 22, 2006 (AGRAHAYANA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1021
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1271
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	11
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1821
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3693
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	869
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	13035
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	765
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . .	1021
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . .	1271
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1821
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3693
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	869
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	13035
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	765
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2004

सं. 7/1/2004-आई.एस.सी.--अधिसूचना सं. 7/1/2001-आई.एस.सी. दिनांक 12 मार्च 2003, के अधिक्रमण में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद् के निम्नलिखित सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा, अन्तर्राज्य परिषद् आदेश, 1990 के खण्ड 2(घ) के अन्तर्गत अन्तर्राज्य परिषद् के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है :

(1) श्री शिवराज वी. पाटिल	गृह मंत्री
(2) श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
(3) श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(4) श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
(5) श्री टी. आर. बालू	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री
(6) श्री एच. आर. भारद्वाज	विधि एवं न्याय मंत्री

2. प्रधानमंत्री द्वारा यह भी अनुमोदित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद् के निम्नलिखित सदस्य एतद्पश्चात् अन्तर्राज्य परिषद् के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे :

(1) श्री प्रणव मुखर्जी	रक्षा मंत्री
(2) श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
(3) श्री प्रियरंजन दासमुंशी	जल संसाधन मंत्री
(4) श्री राम विलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री

कमल पाण्डे
सचिव
अन्तर्राज्य परिषद्

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

संकल्प

सं0 12019/7/2005-एफपीपी

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का पुनर्गठन यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना को प्रशासित और संचालित करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संकल्प संख्या 12019/5/98-एफपीपी, दिनांक 13.3.2003 द्वारा किया गया था । श्री होमी आर.खुरसोखन, प्रबंध निदेशक, टाटा केमिकल्स लिमिटेड (टीसीएल) को टीसीएल के श्री पी.आर.मेनन के स्थानांतरण से हुई रिक्ति पर उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) में सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है । एफआईसीसी में उद्योग सदस्य के रूप में श्री खुरसोखन की नियुक्ति इस संकल्प के जारी होने की तारीख से 4.10.2007 तक की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय तथा संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दीपक सिंघल
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2006

सं0 एफ. 24-6/2003-टी.एस.III दिनांक 16.10.2006 को आयोजित बैठक में शैक्षिक अर्हता से संबंधित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के अधीन उपयुक्त क्षेत्र के पदों पर और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजनार्थ भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन जर्नलिज्म (हिन्दी) को दी गई मान्यता को अगले आदेश तक जारी रखा जाए।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

सं0 एफ. 24-4/2001-टी.एस.।।। इस विभाग के दिनांक 14.5.2004 की समसंख्यक अधिसूचना के कम में दिनांक 16.10.2006 को आयोजित बैठक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जिस पद के लिए शैक्षिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण निर्धारित है, उस पद हेतु केन्द्र सरकार के अन्तर्गत नियोजन के प्रयोजनार्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जा रही प्रथमा परीक्षा को अनंतिम आधार पर दी गई मान्यता को 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात दिनांक 27.10.2007 से 26.10.2010 के लिए बढ़ाया जाए जिसके पश्चात् समिति दी गई मान्यता की समीक्षा करेगी।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2006

सं0एफ0 23-2/2001-टी.एस.-।।।. मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत), मुम्बई इस मंत्रालय के दिनांक 28.5.1976 के पत्र संख्या एफ. 18-31/71- टी.-2 के माध्यम से वर्ष 1976 से संगठन सदस्यता पाठ्यकम का भाग ए और बी चला रहा है जो मैकेनिकल इंजीनियरी डिग्री के समकक्ष है और इस मंत्रालय के दिनांक 11.7.1988 के पत्र संख्या एफ. 1-5/87/टी-7/टी-13 के माध्यम से वर्ष 1988 से तकनीशियन इंजीनियर (टी) का भाग । और ।। संचालित कर रहा है जो किसी राज्य पालिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरी डिप्लोमा के समकक्ष है। वर्ष 2002 में इन पाठ्यकमों की मान्यता वापस लेते हुए, भारत सरकार ने मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत), मुम्बई को इस बात की अनुमति दी थी कि वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के पश्चात् ही अपने डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यकमों को मान्यता दिलाने के लिए इस मंत्रालय से संपर्क करे। तदनुसार, उपर्युक्त संस्थान ने आवश्यक सामग्री के साथ अपना अनुरोध इस विभाग के पास समीक्षा और विचार करने हेतु भेजा। इस विभाग ने इस सामग्री की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से पुनः जांच करवाई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से दोनों पाठ्यकमों की पुनः जांच की और दोनों पाठ्यकमों की पाठ्यचर्या में संशोधन सहित अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

शैक्षिक योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी दिनांक 16.10.2006 की बैठक में इस मामले पर विचार किया और भारत सरकार ने उसकी सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(।) मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत), मुम्बई द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यकमों की मान्यता 16.10.2006 से बहाल की जा रही है। इस मान्यता के आधार पर मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद द्वारा अनुमोदित नई पाठ्यचर्या के आधार पर अपने पाठ्यक्रम चलाएगा। अनुमोदन के अनुसार तकनीशियन इंजीनियर पाठ्यक्रम भाग I और II (डिप्लोमा स्तर) में वर्तमान 14 पेपरों के स्थान पर 22 पेपर होंगे और संगठन सदस्यता के डिग्री स्तर पाठ्यक्रम के भाग ए और बी में वर्तमान 11 पेपरों के स्थान पर 24 पेपर होंगे। थ्यौरी पेपर पूरे करने के पश्चात् छात्रों को तकनीशियन इंजीनियरी पाठ्यक्रम के भाग I और II हेतु मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा के समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पालिटेक्निक में कम से कम 3 माह की अनिवार्य प्रशिक्षुता/प्रायोगिक प्रशिक्षण/परियोजना रिपोर्ट करनी होगी और संगठन सदस्यता पाठ्यक्रम के भाग ए और बी में मैकेनिकल इंजीनियरी स्नातक डिग्री के समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिग्री कालेज में उपर्युक्त अवधि का प्रशिक्षुता/प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(II) तकनीशियन इंजीनियर (डिप्लोमा स्तर) के भाग I और II तथा संगठन सदस्यता पाठ्यक्रम (डिग्री स्तर) के भाग ए और बी में दिनांक 10.6.2002 से पहले नामांकित छात्रों को दिसम्बर, 2006 में होने वाली आगामी परीक्षा में संशोधन से पहले की पाठ्यचर्या में ही अपने पाठ्यक्रम पूरे करने की अनुमति दी जाएगी। उनकी डिग्री/डिप्लोमा केन्द्र सरकार में रोजगार हेतु मान्य होगा। जो छात्र दिसम्बर, 2006 तक अपने पाठ्यक्रम पूरे नहीं कर पाएंगे उन्हें संशोधित पाठ्यचर्या का ही अनुपालन करना होगा।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2006

संकल्प

सं0 2/18/2005–बी0एम0: जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के प्रस्ताव के विस्तृत सर्वेक्षण व अन्वेषण एवं अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जो सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) की पंजीकृत सोसाइटी है, की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्य दिनांक 26.8.1981 की अधिसूचना संख्या–1(7)/80–पी0पी0 के पैरा 4 के अर्न्तगत प्रकाशित किये गये थे। सरकार ने बाद में जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वाले हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में दिनांक 11 मार्च, 1994 के संकल्प सं0 22/27/92–बी.एम. के माध्यम से एवम् दिनांक 26.8.1981 की अधिसूचना संख्या 1(7)/80–पी0पी0 के पैरा 3 एवं 5 में निहित सोसाइटी एवं शासी निकाय की संरचना में दिनांक 13 फरवरी, 2003 एवं 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002–बी.एम. के माध्यम से संशोधन किया।

अब यह निर्णय लिया गया हैं कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण बिहार जैसे राज्यों में नदियों की उप–वेसिनों को जोड़ने वाली नहरो की तकनीकी सम्भाव्यता का पता लगायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण केन–बेतवा जोड़ नहर, जो कि प्राय द्वीपीय विकास घटक की प्राथमिकता जोड़ नहरों में से एक है, की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण उक्त कार्यों को कर सके, इस हेतु इसके कार्यों में निम्नवत आशोधन किये जाते है:

क) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन विकास के लिए तैयार किये गये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास घटकों की संभाव्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों और जोड़ नहरों को आपस में जोड़ने के प्रस्तावों के विस्तृत सर्वेक्षण व अन्वेषण करमा।

ख) निकट भविष्य में बेसिन राज्यों की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली एवं हिमालव नदी प्रणाली में जल की मात्रा, जिसे अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरण किया जा सकता है, के बारे में विस्तृत अध्ययन करना।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास घटकों से संबंधित योजनाओं के विभिन्न तकनीकी संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना।

घ) जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अन्तर्गत नदी जोड़ नहर प्रस्तावों पर संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात् उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

ड.) राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतर्राज्यीय जोड़ नहरों की पूर्वतकनीकी सम्भाव्यता एवं तकनीकी सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना।

च) अन्य वे सभी कार्य करना जो सोसाइटी उक्त उद्देश्यों के पूरा करने के लिये आवश्यक, प्रासंगिक, पूरक या प्रेरक समझे।

आदेश

1. यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी एवं सैनिक सचिवों, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार के लेखा एवं महा नियन्त्रक, योजना तथा केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए।

इन्द्रराज
आयुक्त

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2006

संकल्प

संख्या ई- 11016/1/2004-रा.भा.नी. श्रम मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प संख्या ई-11016/1/2004-रा.भा.नी. दिनांक 15.11.2002 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है।

गठन

	केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष	
सरकारी सदस्य			
1.	सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य	
2.	विशेष सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य	
3.	श्रम और रोजगार सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य	
4.	सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य	
5.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य	
6.	महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य	
7.	आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य	
8.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य	
9.	महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुम्बई	सदस्य	
10.	महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	सदस्य	
11.	महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद	सदस्य	
12.	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली	सदस्य	
13.	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो शिमला/चंडीगढ़	सदस्य	
14.	निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	सदस्य	
15.	निदेशक, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	सदस्य	
16.	महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय/संयुक्त सचिव	सदस्य - सचिव	
गैर-सरकारी सदस्य			
17.	डा. राजेश कुमार मिश्रा, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित
18.	श्री रामस्वरूप कोली, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य	
19.	श्री देवदास आप्टे, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य	
20.	श्री मोतिउर रहमान संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य	
21.	श्री जय प्रकाश संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

22.	डा. सत्यनारायण जटिया संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य	
23.	श्री मदन खोरवाल	सदस्य	श्रम मंत्रालय द्वारा नामित
24.	श्री गिरीश चन्द्र बलूनी	सदस्य	
25.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद जुयाल	सदस्य	
26.	श्री अशोक कुमार सैनी	सदस्य	
27.	श्री श्री दत्तात्रय भि. गुजर	सदस्य	प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ
28.	श्री रमेश चन्द्र जोशी	सदस्य	प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
29.	श्री रामकृष्ण द्विवेदी	सदस्य	राजभाषा विभाग द्वारा नामित
30.	श्री रमाकांत फकिरा पाटील	सदस्य	
31.	श्री चौधरी तुकाराम सुदाम	सदस्य	

2. इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में श्रम मंत्रालय और उसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह देना होगा ।
3. समिति का कार्यकाल उसके गठित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष तक होगा । संसद सदस्य, जो इस समिति के सदस्य हैं, संसद भंग होने पर या उनका कार्यकाल समाप्त होन पर या अन्यथा सदन के सदस्य न रहने पर, समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।
5. यह समिति उच्च स्तरीय होगी तथा गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों एवं श्रम मंत्रालय के सभी कार्यालयों जिनमें स्वायत्त तथा अर्द्ध- स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

शारदा प्रसाद
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi, the 21st June 2004

No. 7/1/2004-ISC.—In supersession of Notification No. 7/1/2001-ISC dated the 12th March, 2003, the following members of the Union Council of Ministers have been nominated by the Prime Minister to be members of the Inter-State Council, in terms of Clause 2(d) of the Inter-State Council Order, 1990 :—

(i)	Shri Shivraj V. Patil	— Minister of Home Affairs
(ii)	Shri P. Chidambaram	— Minister of Finance
(iii)	Shri Sharad Pawar	— Minister of Agriculture and Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
(iv)	Shri Lalu Prasad	— Minister of Railways
(v)	Shri T. R. Baalu	— Minister of Road Transport & Highways and Minister of Shipping
(vi)	Shri H. R. Bhardwaj	— Minister of Law & Justice

2. The Prime Minister has also approved that the following members of the Union Council of Ministers will be permanent invitees to the Council hereafter—

(i)	Shri Pranab Mukherjee	— Minister of Defence
(ii)	Shri Arjun Singh	— Minister of Human Resource Development
(iii)	Shri Priyaranjan Dasmunsi	— Minister of Water Resources
(iv)	Shri Ram Vilas Paswan	— Minister of Chemicals & Fertilizers and Minister of Steel

KAMAL PANDE
Secy.
Inter-State Council

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 1st December 2006

RESOLUTION

No. 12019/7/2005-FPP

The Fertilizer Industry Coordination Committee was reconstituted vide Ministry of Chemicals and Fertilizers' Resolution No. 12019/5/98-FPP dated 13.3.2003 to administer and operate the New Pricing Scheme for urea units. It has been decided to appoint Shri Homi R. Khursokhan, Managing Director, Tata Chemicals Limited (TCL) as industry member in the Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) against the vacancy arising from transfer of Shri P.R. Menon from TCL. The appointment of Shri Khursokhan as industry member in FICC will be effective from the date of issue of the Resolution and for a period up to 4.10.2007 or until further orders, whichever is earlier.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat and the Ministries and Departments of the Government of India concerned.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DEEPAK SINGHAL
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 21st November 2006

RESOLUTION

No.F.24-6/2003-TS-III. On the recommendations of the High Level Committee for the educational qualification in its meeting held on 16.10.2006, the Government of India has decided to continue the recognition of Post Graduate Diploma course in Journalism (Hindi), run by Indian Institute of Mass Communication, New Delhi for the purpose of employment to posts and services under the Central Government in the appropriate field till further orders.

RAVI MATHUR
Jt. Secy.

No.F.24-4/2001-TS-III. In continuation of this Department's Notification of even number dated 14.05.2004, the Government of India, on the recommendations of High Level Committee in its meeting held on 16.10.2006, has decided to extend the provisional recognition granted to the Prathama Examination being conducted by Hindi Sahitaya Sammelen, Allahabad for the purpose of employment under the Central Government for the post for which the desired qualification is a pass in matriculation for a further period of 3 years from 27.10.2007 to 26.10.2010, after which the Committee will review the recognition granted.

RAVI MATHUR
Jt. Secy.

The 24th November 2006

No.F.23 – 2 /2001 – TS.III. The Institute of Mechanical Engineers (India), Mumbai has been running Section A & B of Association Membership course, equivalent to Degree in Mechanical Engineering since 1976, vide this Ministry's letter No.F.18 – 31 / 71 – T.2 dated 28.05.1976 and Part I & II of Technician Engineers (T), equivalent to Diploma in Mechanical Engineering from a State Polytechnic, since 1988, vide this Ministry's letter No.F.1 – 5 /87/T.7/T.13 dated 11.07.1988. In the year 2002, while withdrawing the recognition of these courses, Government of India allowed the IME (India), Mumbai to approach this Ministry for recognition of their Diploma / Degree courses only after the removal of all the deficiencies pointed out by AICTE. Accordingly, the above Institute submitted a request alongwith the requisite material for review and consideration of this Department. This Department got the material re – examined by AICTE. AICTE, through its Expert Committee re – examined both the courses and submitted its recommendations with revision of syllabus for both the courses.

The High Level Committee for recognition of educational qualification considered the matter in its meeting held on 16.10.2006 and on its recommendations, Government of India has decided the following:

(i) The recognition of the courses run by IME, Mumbai may be restored with effect from 16.10.2006. With this recognition IME will run the courses based on new syllabus approved by All India Council for Technical Education (AICTE). As per

the approval, the Technician Engineers courses Part I & II (Diploma Level) will have 22 papers in place of existing 14 papers and Degree level course of Section A & B of Associate Membership will include 24 papers in place of 11 papers at present. In addition to this, there will be nine elective subjects. After completing theory papers, students will have to undergo at least 3 months mandatory apprenticeship / practical training/project report at an All India Council for Technical Education approved Polytechnic for Part I & II of Technician Engineers Course for award of Certificate equivalent to Diploma in Mechanical Engineering and the Apprenticeship / Practical training of the same duration in AICTE approved Degree Colleges for award of Certificate equivalent to Bachelors Degree in Mechanical Engineering for Section A & B of Associate Membership Course.

(ii) The students who were registered prior to 10.06.2002 for part I & II of Technician Engineers (Diploma Level) and Section A & B of Associate Membership course (Degree Level) will be allowed to complete the courses with pre-revised syllabus till the next scheduled examination, to be held in December 2006. Their Degree / Diploma will be recognized for employment in Central Government. Those who do not complete their courses by that time (December 2006), will have to follow the revised syllabus.

RAVI MATHUR
Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 30th November 2006

RESOLUTION

No.2/18/2005-BM: The National Water Development Agency(NWDA), a Registered Society under the Ministry of Irrigation(now Ministry of Water Resources) was set up in the year 1982 to carry out detailed studies, surveys and investigations in respect of Peninsular Component of National Perspective for Water Resources Development. The functions of NWDA were published under para 4 of the gazette notification no. 1(7)/80-PP dated 26.8.1981. The Government subsequently modified the functions of NWDA to include the Himalayan Component of National Perspective for Water Resources Development through the Resolution No. 22/27/92-BM dated 11th March, 1994 and composition of Society and Governing Body contained in Para 3 & 5 of the Resolution no. 1(7)/80-PP dated 26.8.1981 through the Resolution Nos. 2/9/2002-BM dated 13th Feb. 2003 & 12th March, 2004.

It has now been decided that NWDA will explore the feasibility of linking sub-basins of rivers in States like Bihar. It has also been decided that NWDA will also take up the work for preparation of Detailed Project Report (DPR) of Ken-Betwa link, which is one of the priority links under Peninsular Component of National Perspective Plan.

To enable National Water Development Agency to undertake above activities, its functions are further modified as under ;-

a. To carry out detailed surveys and investigations of possible reservoir sites and inter-connecting links in order to establish feasibility of the proposal of Peninsular Rivers Development and Himalayan Rivers Development Components forming part of the National Perspective for Water Resources Development prepared by the then Ministry of Irrigation (now Ministry of Water Resources) and Central Water Commission.

b. To carry out detailed surveys about the quantum of water in various Peninsular River systems and Himalayan River systems which can be transferred to other basins/States after meeting the reasonable needs of the basin/States in the foreseeable future.

c. To prepare feasibility report of the various components of the scheme relating to Peninsular Rivers development and Himalayan Rivers development.

d. To prepare detailed project report of river link proposals under National Perspective Plan for Water Resources Development after concurrence of the concerned States.

e. To prepare pre – feasibility / feasibility reports of the intra – state links as may be proposed by the States.

f. To do all such other things the Society may consider necessary incidental, supplementary or conducive to the attainment of above objectives.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the concerned States Governments and the Union Territory, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller & Auditor General of India, the Planning Commission and all concerned Ministries/Departments of the Central Government for information

2. Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the state Gazettes for general information.

INDRA RAJ
Commissioner

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
New Delhi, the 22nd November 2006

RESOLUTION

No. E-11016/1/2004- RBN : In supersession of the Ministry of Labour Resolution N0. E-11016/1/2004- RBN dated the 15.11.2002, amended from time to time, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Labour as under :

Composition

Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge)	**Chairman**
OFFICIAL MEMBERS	
1. Secretary, Ministry of Labour	Member
2. Special Secretary, Ministry of Labour & Employment	Member
3. Labour & Employment Adviser, Ministry of Labour & Employment	Member
4. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India	Member
5. Joint Secretary, Deptt. Of Official Language	Member
6. Director General (Labour welfare), Ministry of Labour & Employment	Member
7. Economic Advisor, Min. of Labour & Employment	Member
8. Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment	Member
9. Director General, Dte. Genl. Factory Advice Service and Labour Institute, Mumbai	Member
10. Director General, Employees State Insurance Corporation, New Delhi	Member
11. Director General, Mines Safety, Dhanbad	Member
12. Central Provident Fund Commissioner, Employee Provident Fund Organisation, New Delhi	Member
13. Director General, Labour Bureau, Shimla/ Chandigarh	Member
14. Director, Central Board of Workers' Education, Nagpur	Member
15. Director V.V. Giri National Labour Institute Noida	Member
16. Director General, Employment & Training Ministry of Labour & Employment/Joint Secretary	Member-Secretary

Non-official Member		
17. Shri Rajesh Kumar Mishra M.P, Lok Sabha	Member	Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs
18. Shri Ramswarup Koli, M.P, Lok Sabha	Member	
19. Shri Devdas Apte, M.P., Rajya Sabha	Member	
20. Shri Motiur Rahaman, M.P.,Rajya Sabha	Member	
21. Shri Jai Parkash M.P., Lok Sabha	Member	Nominated by the Committee of Parliament on Official Language
22. Dr. Satyanarayan Jatiya M.P., Lok Sabha	Member	
23. Shri Madan Khorwal	Member	Nominated by the Ministry of Labour & Employment
24. Shri Girish Chandar Balooni	Member	
25. Shri Bhuvneshwar Prasad Juyal	Member	
26. Shri Ashok Kumar Saini	Member	
27. Shri Dattatrya B. Gujar	Member	Reperesentative, Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangha
28. Shri Ramesh Chandar Joshi	Member	Reperesentative, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad
29. Shri Ramkrishan Dwivedi	Member	Nominated by the Deptt. Of Official Language
30. Shri Ramakant Fakira Patil	Member	
31. Shri Choudhary Tukaram Sudam	Member	

2. The functions of the Samiti will be to advise the Ministry of Labour and its attached and subordinate offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purpose.

3. The term of the samiti will be three years from the date of its constitution, Members of Parliament, who are also members of the Samiti, shall cease to be members of the samiti on dissolution of the House or on expiry of their terms or on otherwise ceasing to be members of the House.

4. The Headquearters of the samiti shall be at New Delhi.

5. The Non-official members will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

Orderd that a copy of this Resolution be communicated to all State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India and all offices of the Ministry of Labour including Autonomous and Semi-autonomous Bodies.

Orderd also that the Resolution be published in the Gazetted of India for General information.

SHARDA PRASAD
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006.